संख्याः- 2147 / II-2012-04(02)/2011

(44)

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 05 नवम्बर, 2012

विषयः **नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन नलकूप/नहर/लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में पुनर्विनियोग करते हुये बजट आवंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या-3634/मुअवि/बजट/बी-1, सामान्य, दिनांक 26.10.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-15 के अनुसार ₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की क्रमशः RIDF-XIV, XV एवं XVI ट्रैन्च में निर्माणाधीन नलकूप/नहर निर्माण/लिफ्ट योजनाओं के लिए कुल ₹ 5908.00 लाख (₹ उनसठ करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(ii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।

(iii) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(iv) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

(vi) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

(viii) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(ix) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

क्रमशः.....2

(x) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किये जाने अथवा धनराशि का समर्पण किये जाने की स्थिति में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी रहेंगे।

2. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में **संलग्नक–1** में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24 वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–716/XXVII/(2)/12 दिनांक– 01 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या:– 2147 (1)/ II–2012–04(02)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः– 2147/ II–2012–04(02)/2011, दिनांक 05/11/12 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का लेखाशीर्षक	2012–13 के लिए बजट प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्वीकृत	पुनर्विनियोग के उपरान्त प्राविधान	अवमुक्त की जार रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अनुदान संख्या–20 लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना) –24 वृहत् निर्माण कार्य	3800.00	––	3800.00	3200.00
2	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	3500.00	300.00	3800.00	2658.00
3	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तरांचल की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0203 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	400.00	––	100.00	50.00
	योग	7700.00	300.00	7700.00	5908.00

(₹ उनसठ करोड़ आठ लाख मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

प्रपत्र–बी0एम–15

अनुदान संख्या–20
आयोजनागत
वित्तीय वर्ष 2012–13

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय 09/2012 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07–उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0203–नाबार्ड वित्त पोषित लघुडाल नहरों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य 40000	1439	8561	30000(ख)	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरों/अन्य सिंचाई योजनायें 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0202–नाबार्ड वित्त पोषण नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार 24–वृहत निर्माण कार्य 350000 30000(क)	380000	10000	(क) आवश्यकता होने के कारण । (ख) आवश्यकता न होने के कारण।
40000	1439	8561	30000		380000	10000	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं योजनाओं का उल्लंघन नही होता है।

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
यू0ओ0 सं0– 716 /(ए)/XXVII(1)/2012
देहरादूनः दिनांक 01 नवम्बर, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।
सं0 2147/ II–2012–04(02)/2011 तद्दिनांक - 05-11-12
प्रतिलिपि (1) समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।